



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135-2645249 फैक्स नं0 0135-2645249 वेबसाईट www.ptcul.org

पत्रांक: 1248/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईओ-02

दिनांक: 08.08.2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं0-84-विनियम-23/राविप-98-31/विनि/92 दिनांक 24.02.1998 के द्वारा निर्गत सेवक ज्येष्ठता विनियमावली-1998 में निहित प्राविधानों तथा कारपोरेशन आदेश सं0 1193/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईओ-2 दिनांक 01.08.2025 के द्वारा निर्गत सहायक अभियन्ता (जानपद) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के उपरान्त सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष दिनांक 08.08.2025 के सायं 05:00 बजे तक न तो किसी कार्मिक द्वारा कोई लिखित प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया तथा न ही कोई कार्मिक प्रबन्ध निदेशक महोदय के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुआ।

अतः कारपोरेशन आदेश सं0 1193/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईओ-02 दिनांक 01.08.2025 द्वारा जारी सहायक अभियन्ता (जानपद) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में सहायक अभियन्ता (जानपद) को एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 18.08.2025 की अपराह्न 02:00 बजे तक अपना लिखित प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अन्तर्गत उन्हें प्रबन्ध निदेशक महोदय के सम्मुख व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 18.08.2025 की अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक का समय प्रदान किया जाता है।

दिनांक 18.08.2025 की सायं 05:00 बजे तक लिखित प्रत्यावेदन प्राप्त न होने अथवा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 18.08.2025 की अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक उपस्थित न होने के उपरान्त किसी भी प्रत्यावेदन/सुनवाई पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को ही अन्तिम ज्येष्ठता मान लिया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1248/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/ईओ-02, तददिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव-निदेशक, (मा0सं0), पिटकुल को निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मुख्य अभियन्ता (जानपद), पिटकुल, देहरादून।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता (जानपद), पिटकुल.....।
5. समस्त सहायक अभियन्ता (जानपद), पिटकुल.....।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0-द्वितीय), पिटकुल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त ज्येष्ठता सूची को कारपोरेशन की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित पत्रावली/कट फाईल।

(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधिष्ठान)